राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 11681/2017

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
जीवाराम 156, मोडी भाखरी, खरडा बान्डाई पोस्ट, चोटिला तहसील रोहिट, पाली,राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप शासन सचिव गृह ग्रुप-5 विभाग, शासन सचिवालय जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 08-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री जगदीश कुशवाह, वरिष्ठ शासन उप सचिव उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 6-9-16 के द्वारा श्रीमती मुन्नी देवी मेहता द्वारा स्वयं उपस्थित होकर गृहमंत्री महोदय को दिनांक 30-1-16 एवं 31-1-16 को प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर मु0नं0 160/2000-288/2014/83/2014 में की गई कार्यवाही, दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि आदि के बारे में कतिपय सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 5-10-16 को प्राप्त हुआ जिस पर 2 पृष्ठीय सूचना संलग्न कर पत्र दिनांक 6-10-16 से प्रेषित कर दी गई।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 20-12-17 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है, से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को 2 पृष्ठीय सूचना पत्र दिनांक 6-10-16 के साथ संलग्न कर प्रेषित कर दी गई। तदानुसार प्रथम अपील भी निर्णय दिनांक 26-12-16 से खारिज कर दी गई।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त